

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग छ0ग0

// आदेश //

क्रमांक 543 / प्र.जि.म. / 2020

(दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत)

दुर्ग, दिनांक 17.05.2020

कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक 7892/प्र.जि.म./2020 दुर्ग, दिनांक 22.03.2020 एवं आदेश क्र.343ए/प्र.जि.म./2020 दुर्ग, दिनांक 03.04.2020 एवं आदेश क्रमांक 360/प्र.जि.म./2020 दुर्ग, दिनांक 14.4.2020 एवं आदेश क्रमांक 384/प्र.जि.म./2020 दुर्ग दिनांक 03.05.2020, आदेश क्रमांक 389/अ.जि.द./2020 दुर्ग दिनांक 08.05.2020 के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 लागू की गई थी।

2. स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (COVID-19) के संपर्क से पिडित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। छ0ग0 शासन के द्वारा भी यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जावे। यही कारण है कि COVID-19 के संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए ना सिर्फ राज्य में बल्कि पूरे देश में सामाजिक/शारीरिक दूरी (Social/Physical Distancing) को अपनाया जा रहा है।
3. अद्यतन स्थिति में भी कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रामक विमारी पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। अतः संक्रमण से बचाव हेतु जिला दुर्ग में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए दुर्ग जिले में कार्यालयीन आदेश क्रमांक 7892/प्र.जि.म./2020 दुर्ग, दिनांक 22.03.2020 एवं आदेश क्र.343ए/प्र.जि.म./2020 दुर्ग, दिनांक 03.04.2020 एवं आदेश क्रमांक 360/प्र.जि.म./2020 दुर्ग, दिनांक 14.4.2020 2020, आदेश क्रमांक 384/प्र.जि.म./2020 दुर्ग दिनांक 03.05.2020 एवं आदेश क्रमांक 389/अ.जि.द./2020 दुर्ग दिनांक 08.05.2020 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 की समय-सीमा में 17.05.2020 तक वृद्धि की गई थी। इसके पश्चात समय सीमा में वृद्धि किये जाने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक 536/प्र.जि.म./COVID-19/2020 दुर्ग दिनांक 16.05.2020 अंतर्गत सचिव, छ0ग0 शासन गृह विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर को प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। छ0ग0 शासन गृह (सी अनुभाग) विभाग महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-59/गृह-सी/2020 दिनांक 17.05.2020 अंतर्गत समस्त जिलों में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973(1974 को 2) की धारा 144(4) के परन्तुक में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य के समस्त जिला दण्डाधिकारियों द्वारा पारित आदेश को उनके प्रवर्तन की अवसान तिथि से निरंतरता में बनाये रखते हुए आगामी 03 माह तक यथावत बनाये रखने का निर्देश प्राप्त हुआ है।

4. अतः मैं अंकित आनंद, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक 360/प्र.जि.म./2020 दुर्ग, दिनांक 14.4.2020, क्रमांक 7892/प्र.जि.म./2020 दुर्ग, दिनांक 22.03.2020, क्र.343ए/प्र.जि.म./2020 दुर्ग, दिनांक 03.04.2020 एवं आदेश क्रमांक 360/प्र.जि.म./2020 दुर्ग, दिनांक 14.4.2020 आदेश क्रमांक 384/प्र.जि.म./2020 दुर्ग दिनांक 03.05.2020 एवं आदेश क्रमांक 389/अ.जि.द./2020 दुर्ग दिनांक 08.05.2020 द्वारा संपूर्ण दुर्ग जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि करते हुए दिनांक 31 मई, 2020 तक लागू किये जाने का आदेश पारित करता हूँ। आदेश की शेष शर्तें यथावत् रहेगी।

5. महामारी रोग अधिनियम 1897 तथा इसके संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1-26/2020/17-1, दिनांक 13.03.2020 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेशों, आदेश क्रमांक 308/सां०लि०/2020 दुर्ग, दिनांक 25 मार्च, 2020, क्रमांक 316/सां०लि०/2020 दुर्ग, दिनांक 25 मार्च, 2020 एवं आदेश क्रमांक 333/सां०लि०/2020 दुर्ग, दिनांक 29 मार्च, 2020 एवं आदेश क्रमांक 354/प्र.जि.म./2020 दुर्ग, दिनांक 9.4.2020, आदेश क्रमांक 360/प्र.जि.म./2020 दुर्ग, दिनांक 14.4.2020 आदेश क्रमांक 384/प्र.जि.म./2020 दुर्ग दिनांक 03.05.2020 एवं आदेश क्रमांक 389/अ.जि.द./2020 दुर्ग दिनांक 08.05.2020 को इस आदेश के साथ पढ़ा जावे। अतः उक्त आदेशों द्वारा कार्यालय/प्रतिष्ठान/सेवाओं इत्यादि को दी गई छूट इस आदेश में भी यथावत् रहेगी।

यह आदेश दुर्ग जिले की संपूर्ण सीमाक्षेत्र के लिये दिनांक 31 मई 2020 या आगामी आदेश, जो पहले आये तक प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 17 मई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा के साथ जारी किया गया।


कलेक्टर

एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला दण्डाधिकारी
दुर्ग

पू. क्रमांक 544/प्र.जि.म./2020
प्रतिलिपि :-

दुर्ग, दिनांक 17.05.2020

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
2. सचिव, छ0ग0 शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
4. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग को सादर सूचनार्थ ।
5. पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग को सादर सूचनार्थ ।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
7. आयुक्त, नगर पालिक निगम दुर्ग/भिलाई/भिलाई चरोदा/रिसाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
8. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
9. उप संचालक, जनसंपर्क, दुर्ग को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।
10. सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
11. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
12. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका, नगर पंचायत दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

कलेक्टर

एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला दण्डाधिकारी
दुर्ग